


11/11/19 आज यह प्रमाण पत्र अधीन  
की ओर से अधिवक्ता एबी-  
शासन द्वारा अन्तर्गत द्वारा  
128 LR Act के तहत पेअ  
क्रिया। प्रमाण पत्र दर्ज रीजिस्ट्रार  
हो। जहाँ अधीनस्थों को जॉब  
रिजिस्टर्ड डाकू हारा की जाकर  
पत्रावली दिनांक 12/11/19 को पेअ हो


  
अधीनस्थ।

12/11/19 पत्रावली पेअ हुई जहाँ  
अधीनस्थ उपस्थित। अधीनस्थ  
केलाश स्वयं उपस्थित। जाव  
होगे समय-समय ही जॉब  
लागील होकर प्राप्त हुए। इसका  
नोटिस होगा दिनांक 25/11/19 को  
पेअ हो

25/11/19 **आज यह ए. पी. ए. का**  
**प्रमाण पत्र में एअर है**  
अधीनस्थ को यह। पूर्वानुसार पत्रावली  
दिनांक 17/11/19 को पेअ हो

17/11/19 पत्रावली पेअ हुई अधिवक्ता सच द्वारा  
कण्डोलेस/कार्य का बहिष्कार करने पर  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/11/19 को पेअ हो

20/11/19 पत्रावली पेअ हुई जहाँ अधीनस्थ  
अधीनस्थ। अधीनस्थ सच। केलाश  
अधीनस्थ। अधीनस्थों की ओर  
से केलाश ने जाव अतिरिक्त  
अधीनस्थों के साथ पेअ क्रिया  
जिसमें अंकित क्रिया कि एबी मती-



क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		<p>कमला देवी W/O लाल लाल मीठा को खण्ड 359 में से 8 पिछा भूमि रास्ते छुड़ी गई थी एवं श्रीमती कमलादेवी से खण्ड 9 में 5 पिछा व खण्ड 10 में 3 पिछा पत्नीन गाम-वड मोन्दपुरा में केलाश, साहुल, रविन्द्र सुरेश पिं रामचंद्र मीठा ने खरीदी थी। उक्त पत्नीन एक ही सीमा पर लगती हुई है। प्राथमिक कमला देवी के पत्परवाही की जाये तो साप-साप हमारी पत्नीन की भी पत्परवाही की जाये।</p> <p>अज्ञातों ने अज्ञात प्लाट के साप अतिरिक्त साप अतिरिक्त किने जिसमें अज्ञात किना कि प्राथमिक के खण्ड 359/1 की पत्परवाही करवाना चाहता है एवं अज्ञातों से 1 ता 4 के खण्ड 359 की पत्परवाही के साप-साप की जाये एवं खण्ड 359/1 के खंड में लगती हुई पत्नीन खण्ड 13, 17, 18 थी मती ग्यारसी देवी W/O लक्ष्मीनारायण मीठा गाम-वड मोन्दपुरा की मोन्दपुरा में मोन्दपुरा पर उपस्थिति होने से वास्तव किना जाये।</p> <p>प्राथमिक ने प्रस्तुत प्राथमिक अन्तर्गत बाबा 128 राजपूताना लॉन्ड रेवेन्यू एक्ट वास्त सीमांतान, पत्परवाही करवाने का पेश किना। प्रस्तुत प्राथमिक पर के मद सं 1 लगाए 10 में अज्ञात रूपों की ताईद करने डले।</p>	

अप  
सापखण्ड अधिकारी

अनुतोष - चार कि गाँव पापड़  
 तहसील जमवारामगढ़ (पपपुर) के शराजी  
 रकबा 359। रकबा 0.1150 शराजी  
 चारों ओर की पटपरगी मय प्रमाण  
 प्राप्त है की जावे।

पकील जापोदा व कृष्णचौक  
 की ओर से अधिपतन की  
 बहस सुनी गई। बहस सुनते व  
 पत्रावली का इलाका करत पर  
 प्रस्तुत जापोदा पत्र अन्तर्गत धारा  
 120 C.K. Act को स्वीकार किया  
 जाता है एवं गाँव पापड़ तहसील  
 जमवारामगढ़ के रकबा 359। रकबा  
 0.1150 हेक्टर व 359 के पटपरगी  
 करत तथा गाँव चक नोन्दपुरा  
 के रकबा 9 व 10 की पटपरगी के  
 आदेश तहसीलदार जमवारामगढ़ को  
 दिए जाते हैं एवं तहसीलदार जमवारामगढ़  
 को निदेश दिए जाते हैं कि वे रकबा  
 359। के अर्क में जमवाड़ी हुई शराजी  
 रकबा 13।17।18 के जातेदार को गाँव  
 जमवारामगढ़ की पटपरगी (पपपुर) में  
 गाँव चक नोन्दपुरा को मोह पर उपस्थित  
 होकर अपने स्वर से पाबंद करें।

यदि अतः खमरा नम्बरों को  
 किसी भी न्यायालय का रूपगत  
 आदेश न हो तो अतः आदेश के  
 अनुसार (पटपरगी) करत सुनिश्चित करें  
 आदेश की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ़  
 के पालन हेतु भिजाई जावे।

पत्रावली जैसा हुआ होकर  
 नम्बर से काट डाल करती दायित्व  
 रखते।

सपखण्ड अधिकारी  
 जमवारामगढ़

अधिकारी  
 जमवारामगढ़

